



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-19112025-267824  
CG-UP-E-19112025-267824

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5114]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947

No. 5114]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 7 नवम्बर, 2025

का.आ. 5285(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संसोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'च' की उप धारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित मध्यस्थ को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित जिले के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य में “उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी-बीना खंड पर किमी संख्या 1074 / 8—10 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 341 के स्थान पर 2 लेन आरओबी का निर्माण।” को विशेष रेल परियोजना की बाबत ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति करती है।

## सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	जिला अधिकारी, ललितपुर	ललितपुर

[फा. सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य.ई.एन.जी. जी.(बी. आर. आई. डी.)/32/2024-ओ/ओ डी.वाई.सी. ई./ बी. आर./  
एल./जे. एच. एस.(कम्प्यूटर क्र.115685)]  
जे. सी. चौरसिया, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

## MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Engineering Department)]

## NOTIFICATION

Prayagraj, the 7th November, 2025

**S.O. 5285(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project of “**Construction of 2 lane ROB in lieu of L-xing No. 341 at Km. 1074/8-10 on VGLJ-BINA section of N. C. Railway**” in the state of Uttar Pradesh relating to district mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such railway project.

## TABLE

Sr. No.	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	District Magistrate, Lalitpur	Lalitpur

[F. No. NCR-HQ0ENGG(BRID)/32/2024-O/o Dy.CE/Br./L/JHS (Computer No. 115685)]

J. C. CHAURASIA, Principal Chief Engineer